न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 33 / 2020

मंदिर मूर्ति गोपीनाथ जी जरिये पुजारीगण
1 चिरंजीलाल आयु 75 साल पुत्र श्री लादूराम
2 बृजगोपाल आयु 62 साल पुत्र श्री लादूराम
3 हणमान शर्मा पुत्र लादूराम आयु 52 साल
4 भानुप्रकाश आयु 50 साल पुत्र श्री नन्दकिशोर
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी भवानीपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 अणची देवी पत्नी स्व. श्री रामकुंवार फौत
1/1 सुशीला पुत्री स्व. रामकुंवार
1/2 बसकर पुत्री स्व. रामकुंवार
समस्त जाति धानका निवासी कुरबड़ा तहसील नीमकाथाना जिला नीमकाथाना राज.।
2 सांवरमल पुत्र स्व. श्री रामकुंवार
3 श्रीपाल पुत्र स्व. श्री रामकुंवार
4 सुभाष पुत्र स्व. रामकुंवार
5 श्रीमती पिंकी उर्फ संतोष पत्नी स्व. कजोड़ पुत्रवधु रामकुंवार
समस्त जाति धानका निवासीगण ग्राम भवानीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
6 सीताराम पुत्र श्री स्व महादू उर्फ महादेव
7 विजयपाल पुत्र श्री स्व. महादू उर्फ महादेव
8 मीरा देवी पत्नी श्री स्व. महादू उर्फ महादेव
9 दूला पुत्र स्व. गोदिया जाति धानका
समस्त निवासी भवानीपुरा तहसील श्रीमाधोपुरा जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 पटवारी हल्का पटवार हल्का चौमू–पुरोहितान इन्सपेक्टर लैण्ड रिकार्ड हल्का रींगस तहसील खण्डेला।
11 उप पंजीयक खण्डेला कार्यालय तहसील जालपाली खण्डेला जिला सीकर राज.।
12 भूमिधारी जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील अ. आदेश 43 नियम 1 सीपीसी व धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.12.2019 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा.ट्रे.) खण्डेला प्रकरण उनवानी मंदिर मूर्ति गोपीनाथ जी बनाम रामकुंवार वगै. मुकदमा नम्बर एफ.टी. 93/2016

उपस्थिति :
1. श्री भागीरथ कुड़ी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 15/9/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 93/2016 में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय ए.सी.एम. खण्डेला में दावा संख्या 100/2003 व एफ.टी.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

144/2013 उनवानी माफी मन्दिर मूर्ति श्री गोपीनाथ जी वाके ग्राम भवानीपुरा जरिये पुजारीगण बनाम रामकुंवार व अन्य बाबत इस्तकरारहक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती, रिकार्ड, अ. धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया था, जो मंदिर संपदा के संबंध में किया था। उक्त वाद हाजा दिनांक 05.08.2016 को अदम हाजरी, अदम पैरवी विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। जिसकी जानकारी होते हुए ही अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.08.2016 को आवेदन वाजदायरी अ. आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया था। जिसको विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.12.2019 को कानूनन पोषणीय नहीं होने की फाईडिंग देकर खारिज कर दिया गया। जिसकी अपीलान्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से संपर्क करने पर खारिज होने की सूचना दिनांक 10.02.2020 को प्राप्त होने पर उसी दिन नकल आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 12.02.2020 को नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील मियाद अवधि की छुट के आवेदन अ. धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे व्यथित होकर यह अपील आदेश दिनांक 27.12.2019 व 05.08.2016 को अपास्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी अपीलान्ट अपने मूलवाद पत्र में पैरवी हेतु अपने अधिवक्ता के पूर्णतया भरोसे में थे तथा नियत तारीख पेशी का मुगालता होने के कारण विचारण न्यायालय में नहीं आ सकें। इस वजह से प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया था। जिसकी वाजदायरी अविलम्ब विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी। जिसको विचारण न्यायालय में आवेदन में उल्लेखित आधार को दौराने बहस वकील प्रार्थी ने ऐसा कोई सारभूत तथ्य प्रकट नहीं किया जो वकील व पक्षकार की अनुपस्थिति को युक्ति युक्त कारण दर्शित हो तथा वाजदायरी कानूनन पोषणीय नहीं मानकर खारिज किया गया है। जो पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रकरण मंदिर की अचल संपदा वाद हाजा में वर्णित भूमि खसरा नम्बरान के संबंध में इस्तकरारहक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रिकार्ड का विवाद अर्न्तविहित है। जिसका गुणावगुण पर दोनों पक्षों की सम्पूर्ण साक्ष्य लेखबद्ध तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत होने के उपरान्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सुनवायी को समुचित अवसर प्रदान किया जाकर अंतिम विनिश्चय किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक एवं न्यायोचित है। उक्त वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने से मंदिर संपदा को काफी क्षति हुयी है। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं है। इसलिए भी वाद हाजा को पुनः नम्बर पर लिया जाना अतिआवश्यक है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय को निर्णय 05.08.2016 व दिनांक आदेश 27.12.2019 को अपास्त फरमाया जाकर प्रकरण हाजा को पुनः नम्बर पर लेकर सुनवाई समुचित अवसर प्रदान कर मैरिट पर विनिश्चित करवाने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट के आवेदन को सुनवाई हेतु नियत किया गया था। विचारण न्यायालय में निर्धारित तिथि पर अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थिति रहने पर विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष बाजदायरी आवेदन के समर्थन में अपीलान्ट द्वारा संतोषप्रद एवं तथ्यात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जिसके आधार पर वाजदायरी आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित हो। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाजदायरी आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता के नियत तिथि पर अनुपस्थित रहने के कारण खारिज किया गया है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश के विरूद्ध वाजदायरी आवेदन विधिक प्रावधानों के अनुसार नियत एक माह की अवधि में प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट को प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करवाने का न्यायिक अधिकार है। वाजदायरी के प्रकरण में नियत समयावधि में आवेदन प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किये जाने पर न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय को नरम रूख अपनाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने युक्ति संगत कारण का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाजदायरी आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय वाजदायरी एवं मूलप्रकरण में पारित अदम हाजरी अदम पैरवी के निर्णय को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मूलप्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर विधिक प्रावधानों की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.09.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार ग)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर